'राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008

जी.एस.आर. 21- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 89 के साथ पठित धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात

भाग 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ & (1) इन नियमों का नाम **राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 हैं।**
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,
(क) "नियुक्ति प्राधिकारी' से संबंधित जिले का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) या ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे, सरकार के विशेष या साधारण आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह उचित समझे, इस निमित्त शक्तियां प्रत्यायोजित की जाये;

[2][(ख) **"समिति"** से, सीधी भर्ती के संबंध में जिला स्थापन समिति और पदोन्नति के संबंध में नियम 28 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;]
(ग) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग-4 के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है;

(घ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है:

(च) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों के उपबंधों के अधीन सेवा में के किसी पद पर नियमित चयन के आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "पदोन्नति समिति" से पदोन्नति के संबंध में नियम 28 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत हैं;
(t) "सेवा" से राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा अभिप्रेत है:

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
(ञ) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक चयन के पश्चात् किसी अधिष्ठायी पद पर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन व्यक्ति के रूप में की गयी कोई नियुक्ति भी है जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण किया जाता हो;
[1][(ट) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए **"अध्यापन अनुभव"** से राजकीय विद्यालय/राजकीय शैक्षणिक परियोजनाओं अर्थात् लोक जुम्बिश परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/राजीव गांधी पाठशाला/शिक्षा कर्मी बोर्ड में और मदरसा बोर्ड के अधीन सूचीबद्ध मदरसा में अर्जित अध्यापन अनुभव अभिप्रेत हैं;]
(B) "सेवा" या "अनुभव" जहाँ कहीं भी इन नियमों में उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् ऐसे निम्नतर पद पर निरन्तर कार्य किया हो;
(ड) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है;
[2][(ढ) **"जिला परिषद"** से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन जिला स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थापित स्वायत्त शासन संस्था अभिप्रेत है।]

3. निर्वचन- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

भाग 2
संवर्ग

4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या- (1) सेवा में अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पद सम्मिलित होंगे।
(2) सेवा में के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।

परन्तु सरकार-
(क) आवश्यक प्रतीत होने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद समय-समय पर सृजित कर सकेगी, और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार या किसी पद के प्रति भर्ती के लिए कोई अनिवार्यता बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय-समय पर बिना भरे या प्रास्थगित रख सकेगी या समाप्त कर सकेगी।

5. सेवा का गठन- सेवा में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होंगे जिन्हें इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किया गया हो।

भाग 3
भर्ती की रीतियां

6. भर्ती की रीतियां- इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी-

(क) इन नियमों के भाग 4 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा

(ख) इन नियमों के भाग 5 के अनुसार पदोन्नति द्वारा।

7. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण-
(1)अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार के आरक्षण संबंधी ऐसे आदेशों के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त हो चाहे भर्ती सीधी हो या पदोन्नति द्वारा।

(2) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य है, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए समिति द्वारा और पदोन्नति के मामले में पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये है।

[1][(3) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए विहित पृथक पृथक रोस्टरों के अनुसार की जायेगी।]

[1][(4) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रनीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी;

परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा;
परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन समान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या; यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

(5) किसी वर्ष विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रनीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता है/जाते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करें कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को, जिन्हें अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग को/के अभ्यर्थी उपलब्ध हो/हों, वह पद रिक्त करना होगा।]

[1][8. **पिछड़े वर्गों, विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण**– पिछड़े वर्गों विशेष पिछड़े वर्गों और आर्थिक पिछडे वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंध के अनुसार होगा।]

[1][9. **महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण** – सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त विधवाओं और विछिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, विधवाओं और विछिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ अन्य महिला अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी और आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस समबन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, आनुपातिक रूप में समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरणः विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन विवाह महिला के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।]

[1][9-क. **उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण- उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण**– उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के लिए निश्चित वर्ष में आयोग के परिक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा और इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण- "उत्कृष्ट खिलाड़ियों से" अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने-

(i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोटर्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो;

या

(ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो

या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के आल इण्डिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।]

10. रिक्तियों का अवधारणाश: (1) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) इस प्रकार अवधारित रिक्तियां नियमों में विहित रीतियों द्वारा भरी जायेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्षों की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा बशर्ते कि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हो और उस वर्ष में जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

11. राष्ट्रीयता : सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह-

(क) भारत का नागरिक हो; या
(ख) नेपाल का नागरिक हो; या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो; या
(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया होः

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बक्ष में सरकारी गृह एवं न्याय विभाग द्वारा समुचित सत्यापन के पश्चात् पात्रता प्रमाण पत्र जारी कया गया हो।

12. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें: इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी ात के होते हुए भी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से परत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी । पबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये पये और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार व्यावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

13. आयु: अनुसूची में प्रगणित किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी आवेदनों की प्राप्ति के लए नियत अन्तिम तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 23 वर्ष की आयु प्राप्त कया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए:

परन्तु-

(i) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में वर्ष की शिथिलता दी जायेगी;
(ii) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में वर्ष की शिथिलता दी जायेगी;
(iii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की शिथिलता दी जायेगी;
(iv) भूतपूर्व कार्मिक और आरक्षित सैनिक अर्थात् रक्षा सेवा कार्मिक जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था, के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी;
(v) राज्य में शैक्षणिक परियोजना अर्थात राजीव गाँधी पाठशाला/शिक्षाकर्मी बोर्ड/लोक जुम्बिश परियोजना/सर्वशिक्षा अभियान/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1[मदरसा बोर्ड के अधीन सूचीबद्ध मदरसा] के अधीन सेवारत व्यक्तियों को यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा चाहे उन्होंने सीधी भर्ती के समय आयु सीमा पार कर ली हो;
(vi) एन.सी.सी. कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा;
(vii) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे समिति के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे;
(vii) विधवाओं और विवाह विच्छिन महिलाओं के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

स्पष्टीकरणः विधवा के मामले में, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विवाह विच्छिन्न के मामले में उसे विवाह विच्छिन्नता का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

14. शैक्षिणिक और वृत्तिक अर्हताएं अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी यथा अपेक्षित ऐसे अनुभव के अतिरिक्त निम्नलिखित अर्हताएं रखेगा-
[1][(1) अनुसूची के स्तम्भ 6 में दी गयी अर्हता; और]
(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

15. चरित्रः सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करें। उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी के प्राचार्य शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और साथ ही ऐसे दो प्रमाण-पत्र जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हो ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी हो।

16. शारीरिक उपयुक्तताः सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुकसान नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी से अभ्यर्थी को जो पदोन्नति की नियमित पंक्ति में पदोन्नति हो या पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए स्वास्थ्य परीक्षा का आवश्यक मापमान नये पद के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण पालन के तुल्य हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

17. नियुक्ति के लिए निरर्हताए: (1) कोई पुरूष अभ्यर्थी, जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां है सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा सिवाय उस दशा के जब सरकार अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है किसी अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दें।

(2) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जब सरकार अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए "दहेज" का अर्थ वहीं है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाला व्यक्ति तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक कि उसकी सन्तानों की उस संख्या में जो 1 जून, 2002 को है, बढोतरी नहीं होती है।

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही सन्तान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जायेगा;

परन्तु यह भी कि इस उप नियम के उपबंध, राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

18. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग ऐसा अभ्यर्थी जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा में प्रवेश पाने या साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी है यासरकारी अथवा समिति द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त-

(क) अभ्यर्थियों के चयन हेतु सरकार या समिति द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से सरकार या यथास्थिति समिति द्वारा; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा, या तो स्थायी तौर पर या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

19. संयाचना- इन नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरर्हित कर सकेगा।

भाग 4

सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

[1][20. **सीधी भर्ती** : प्रबोधक के पद पर सीधी भर्ती संबंधित जिला परिषद की जिला स्थापन समिति द्वारा की जायेगी।]

21. **आवेदन आमंत्रित करना** : सेवा में के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन समिति के सदस्य सचिव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो सरकार ठीक समझे, विज्ञापित करके, आमंत्रित किए जाएंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा को कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगाः

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय समिति, यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन भी कर सकेगी।

22. **आवेदन का प्ररूप** : आवेदन सरकार द्वारा विहित प्ररूप में किया जायेगा और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) के कार्यालय से ऐसी फीस, यदि कोई हो, जो सरकार द्वारा नियत की जाये का संदाय करके प्राप्त किया जा सकेगा।

23. **आवेदन फीस** : सेवा में के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी [सम्बन्धित जिला परिषद] को ऐसी फीस का, जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाये, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करें, संदाय करेगा।

[1][24. **आवेदनों की संवीक्षाः** संबंधित जिला स्थापन समिति प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगी और ऐसे अधिमान के आधार पर जो राज्य सरकार द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) में प्राप्त अंकों, अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक शैक्षणिक और व्यावसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए विनिर्दिष्ट किया जाये और ऐसे अंकों के आधार पर जो किसी राजकीय स्कूल/राजकीय शैक्षणिक परियोजनाओं अर्थात् लोक जुम्बिश परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान /जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम/राजीव गांधी पाठशाला/शिक्षा कर्मी बोर्ड में और मदरसा बोर्ड के अधीन सूचीबद्ध मदरसा में कार्यरत प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगाए गये से भिन्न व्यक्तियों द्वारा अर्जित एक वर्ष से अधिक के अध्यापन अनुभव को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट किये जाये, योग्यता सूची तैयार करेगी।

स्पष्टीकरणः जहाँ परीक्षा-विशेष में अभ्यर्थी को ग्रेड प्रदान किये जाने के कारण अंकों के प्रतिशत को अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता हो, ऐसी परीक्षा में अभ्यर्थी को प्रदान किये गये ग्रेड का माध्यम योग्यता सूची तैयार किये जाने का आधार होगा।]

25. **समिति की सिफारिशें**- समिति ऐसे अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह सम्बन्धित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, एक सूची तैयार करेगी, उसे योग्यता क्रम में व्यवस्थित करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी;

परन्तु समिति विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम आरक्षित सूची में रख सकेगी। अध्यपेक्षा किये जाने पर ऐसे अभ्यर्थियों के नामों की योग्यता क्रम में सिफारिश, उस तारीख से, जिसे समिति द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को मूल सूची अग्रेषित की जाये, 6 मास के भीतर-भीतर नियुक्ति प्राधिकारी को की जा सकेगी।

26. **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन नियम**- 7, 8, 9 और 10 के उपबन्धों के अध्यधीन, नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों का जिनका स्थान [नियम 25 के अधीन समिति द्वारा तैयार की गयी] सूची में योग्यता क्रम में सबसे ऊपर हो, चयन करेगा;

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जाँच के पश्चात् जी वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि ऐसे अभ्यर्थी संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

भाग 5

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

27. चयन के लिए कसौटी. अनुसूची के स्तम्भ 4 में प्रगणित व्यक्ति, चयन वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को स्तम्भ 5 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए, स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

28. पदोन्नति समिति का गठन.- इन नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा भर्ती जिला स्तर पर निम्नलिखित से गठित पदोन्नति समिति द्वारा की जायेगी, अर्थात्-

1. जिला प्रमुख -अध्यक्ष

2. मुख्य कार्यपालक -सदस्य

3. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) - सदस्य सचिव

4. अपर जिला शिक्षा अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी एवं वरिष्ठ उप-जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य
- सदस्य

29. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया. - (1) ज्योंहि नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के रिक्तियों के अवधारण से संबंधित नियम के अधीन रिक्तियों की संख्या अवधारित करे और यह विनिश्चिय करे कि कतिपय संख्या में पद पदोन्नति द्वारा भरे जाने अपेक्षित हैं त्योंही वह उप-नियम (6) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे वरिष्ठतम व्यक्तियों की सही एवं पूर्ण सूची तैयार करेगा, जो पदोन्नति के लिए इन नियमों के अधीन पात्र और अर्हित हैं।

(2) पद जिससे पदोन्नति की जानी है, से संबंधित अनुसूची के सुसंगत स्तम्भ में प्रगणित व्यक्ति चयन वर्ष के अप्रेल मास के प्रथम दिन पदोन्नति के लिए अर्हताएं और अनुभव से संबंधित सुसंगत स्तम्भ में यथावनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव रखने के अध्यधीन रहते हुए स्तम्भ 3 में उपदर्शित सीमा तक उसके स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

(3) किसी भी व्यक्ति की सेवा में पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिसे इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार पदोन्नति की जानी हो, नियमित रूप से चयनित न हुआ हो।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, पाँच भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतानें हों;

परन्तु-

(i) दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझे जायेंगे जब तक कि उनकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।

(ii) जहाँ किसी सरकारी कर्मचारी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहाँ संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।

(5) सेवा में सम्मिलित पद पर पदोन्नति के लिए चयन वरिष्ठता-एवं-योग्यता के आधार पर किया जायेगा।

जून 2002 या इसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे बाबत आदेश

(1)

जून 2002 या इसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे होने पर नियुक्ति का पात्र नहीं

ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01-06-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों, राजकीय सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चे वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरहिंत नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चे है किन्तु किसी एक पश्चावर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

[एफ.7(1) कार्मिक/क-11/1995 दिनांक 08-04-2003]

(2)

समय पूर्व प्रसव के कारण निशक्त बच्चा होने पर बच्चों की संख्या को गणना में शामिल नहीं किया जायेगा

"Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child from earlier delivery and having disability shall not be counted."

[एफ.7(1) कार्मिक/क-2/पार्ट-1 दिनांक 24-02-2011]

(3)

एसपी स्वीकृति हेतु बच्चों की संख्या की गणना में समयपूर्व प्रसव के कारण विकलांग संतान को शामिल नहीं किया जायेगा

A New Proviso is hereby inserted below existing para 2(8)(iii) of Finance Department Memorandum of even number dated 31-12-2009 as under:-

"Provided that while counting the total number of children of an employee, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted." These orders shall be deemed to have come into force w.e.f. 24-02-2011.

[एफ. 14 (88) वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 16-11-2011]

परिपत्र

जयपुर, दिनांक 02-08-2016

क्रमांक : प.7 (1) कार्मिक/क-2/95 पार्ट-2

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20-06-2001 में प्रावधान किया गया कि यदि किसी राजसेवक की संतानों की संख्या दिनांक 01-06-2002 के बाद बढ़कर दो से अधिक हो जाती है तो उसकी पदोन्नति पर 5 वर्ष तक विचार नहीं किया जायेगा। इस प्रावधान को लागू करते समय आने वाली कठिनाइयों के संबंध में कार्मिक विभाग से समय-समय पर मार्गदर्शन चाहा जाता है। इसी क्रम में यह मार्गदर्शन चाहा गया कि क्या निराश्रित बालक को किसी राजसेवक द्वारा दत्तक ग्रहण किया जाता है और इसके कारण यदि उसकी संतानों की संख्या में 01-06-2002 के बाद बढ़ोत्तरी होकर दो से अधिक हो जाती है तो क्या उस पर अधिसूचना दिनांक 20-06-2001 के प्रावधान लागू होंगे।

प्रकरण का राज्य सरकार स्तर पर गहनता से परीक्षण किया गया। यह पाया गया कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 20-06-2001 जारी किए जाने के पीछे मूल भावना व उद्देश्य "राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अननरूप जनसंख्या वृद्धि को रोकना" रहा है। और चूंकि निराश्रित बालक को, विशेषकर राजकीय शिशुगृह से, दत्तक ग्रहण करने के कारण जनसंख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है, अपितु एक निराश्रित बालक को आश्रय मिलता है। राजकीय शिशुगृह में दत्तकग्रहण संबंधी प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी एवं संदेह से परे भी मानी जा सकती है। अतः ऐसा दत्तकग्रहण उक्त प्रावधान की भावना को आहत नहीं करता है।

उक्त की दृष्टिगत यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी राजसेवक द्वारा किसी राजकीय शिशुगृह से निराश्रित बालक/बालिका को, विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए, दत्तक ग्रहण कर लिया जाता है और ऐसी दत्तकग्रहीत संतान के कारण उसकी संतानों की संख्या में 01-06-2002 के बाद वृद्धि होकर दो से अधिक हो जाती है तो ऐसे प्रकरण में, अधिसूचना दिनांक 20-06-2001 के प्रयोजन के लिए ऐसी दत्तकग्रहीत संतान को संतानों की संख्या में नहीं माना जायेगा।

सभी नियुक्ति अधिकारियों से अपेक्षा है कि अधिसूचना दिनांक 20-06-2001 के प्रावधानों को लागू करते समय उक्त स्पष्टीकरण को ध्यान में रखा जावे।

(6) पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों के संबंध में विचार की संख्या-सीमा निम्नलिखित होगी-

(i) रिक्तियों की संख्या	विचार किये जाने वाले पात्र व्यक्तियों की संख्या
(क) एक रिक्ति के लिए	-पांच पात्र व्यक्ति
(ख) दो रिक्तियों के लिए	-आठ पात्र व्यक
(ग) तीन रिक्तियों के लिए	-दस पात्र व्यक्ति
(घ) चार या अधिक रिक्तियों के लिए	- रिक्तियों की संख्या का तीन गुना।

(ii) जहाँ उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या ऊपर विनिर्दिष्ट संख्या से कम हो वहाँ इस प्रकार पात्र समस्त व्यक्तियों के बारे में विचार किया जायेगा।

(iii) जहाँ अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में ऊपर विनिर्दिष्ट विचार की संख्या-सीमा के भीतर उपलब्ध नहीं हों वहीं विचार की संख्या-सीमा रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक बढ़ायी जा सकेगी और इस प्रकार

बढ़ायी गयी विचार की संख्या-सीमा के भीतर आने वाले अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति (कोई अन्य नहीं) के अभ्यर्थियों के बारे में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति भी विचार किय जयेगा।

(7) इस नियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें, पदोन्नति समिति का गठन और चयन के लिए प्रक्रिया वही होगी जो इन नियमों में अन्यत्र विहित है।

(8) पदोन्नति समिति, ऐसे समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो इन नियमों के अधीन संबंधित पद के वर्ग में पदोन्नति के लिए पात्र और अहिंत हैं और पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों के नाम अन्तर्विष्ट करते हुए इन नियमों के अधीन अवधारित रिक्तियों की संख्या के बराबर नामों की एक सूची तैयार करेगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची उस पद-प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी जिससे चयन किया गया है।

(9) पदोन्नति समिति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर सूची भी तैयार कर सकेगी जिसमें अस्थायी या स्थायी रिक्तियों को, जो बाद में हो, भरने के लिए उप-नियम (8) के अधीन तैयार की गयी सूची में चयनित व्यक्तियों की संख्या से अनधिक व्यक्तियों के नाम होंगे। इस प्रकार तैयार की गयी सूची उनके पदों के प्रवर्ग में के, जिसमें से चयन किया जायेगा, वरिष्ठता क्रम में रखी जायेगी। ऐसी सूची को ऐसी पदोन्नति समिति द्वारा पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित किया जायेगा जिसकी बैठक पश्चातवर्ती वर्ष में हो और ऐसी सूची ऐसे वर्ष के अंतिम दिन तक प्रवृत्त रहेगी जिसके लिए पदोन्नति समिति की बैठक की जाये।

(10) उप-नियम (8) और (9) के अधीन तैयार की गयी सूचिर्या, उनमें सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के और ऐसे अन्य अभ्यर्थियों के, जिनका चयन नहीं किया गया हो, यदि कोई हो, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों और अन्य सेवा अभिलेकों के साथ, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेगी।

(11) इन नियमों के प्रख्यापन के पश्चात्, यदि किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में, किसी पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित रिक्तियां, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, इन नियमों के अधीन अवधारित की जाती है तो पदोन्नति समिति उस वर्ष, जिसमें पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाती है, का विचार किये बिना ऐसे समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में, जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, पात्र होते और ऐसी पदोन्नति उस वर्ष-विशेष में, जिससे ऐसी रिक्तियाँ संबंधित हैं, पदोन्नति के लिए लागू की और प्रक्रिया द्वारा विनियमित होंगी और इस प्रकार पदोन्नत किये गये किसी पदधारी की ऐसी कालावधि की सेवा/अनुभव को, जिसके दौरान उसने ऐसे पद के कर्त्तव्यों का वास्तव में पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता, उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए गिना जायेगा। इस प्रकार पदोन्नत किये गये व्यक्ति का वेतन ऐसे वेतन पर पुननिर्धारित किया जायेगा जो वह अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त कर रहा होता, किन्तु वेतन का कोई भी बकाया उसे अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

(12) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, अभिलेख को देखने सी प्रकट किसी भूल या गलती के कारण या पदोन्नति समिति के विनिश्चिय को सारवान रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक गलती के कारण या किन्हीं भी अन्य पर्याप्त कारणों से उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी भी न्यायालय या अधिकरण का निर्णय/निदेश या जहाँ किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को निकाल दिया गया है या उसमें परिवर्तन कर दिया गया है या उसे दिया गया दण्ड अपास्त या कम कर दिया गया है, पूर्व में हुई पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों के पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पुर्नविलोकन पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के पूर्व सरकार की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

(13) पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियां, ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके नामों पर पदोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया है, वैयक्तिक पत्रावलियों और वार्षिक गोपनीय पंजियों/वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों सहित, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जायेगी।

(14) नियुक्ति प्राधिकारी, पदोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी सूचियों, साथ ही पदोन्नति समिति से प्राप्त अन्य सुसंगत दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना आवश्यक न समझा जाये, सूचियों का अनुमोदन करेगा। यदि पदोन्नति समिति नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देगा। पदोन्नति समिति की टिप्पणियों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् नियुक्तिप्राधिकारी उन सूचियों को ऐसे उपान्तरणों सहित, जी उसकी राय में न्यायसंगत एवं वश्चित प्रतीत हों, अंतिम रूप से अनुमोदन कर सकेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार का कोई अधीनस्थ प्राधिकारी हो तो समिति द्वारा अनुमोदित सूचियों में हेरफेर सरकार के अनुमोदन से ही किया जायेगा।

(15) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां पूर्ववर्ती उप-नियम (14) के अधीन अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियों में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों में से उसी क्रम में की जायेंगी जिस क्रम में उनके नाम सूचियों में रखे गये हैं, जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित न हो जाये या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रह जायें।

(16) सरकार ऐसे व्यक्ति के मामले में पदोन्नतियों, नियुक्तियों या अन्य आनुषंगिक मामलों में साम्यापूर्ण और उचित रीति से अंतिम तौर पर संव्यवहार करने के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी, जो उस समय निलम्बनाधीन हों, या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही हो, जब किसी ऐसे पद पर की पदोन्नति पर विचार किया जाये जिसके लिए वे पात्र हैं या ऐसे निलंबन के या ऐसी जांच या कार्यवाही के लम्बित रहने के सिवाय पात्र होते।

(17) इन नियमों के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी इन नियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

30. **पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन**. यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चत पद पर अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है और यदि नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है ती संबंधित व्यक्ति को, पश्चातवर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए जिनके लिए पदोन्नति समिति की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेण्ड अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चातवर्ती दो भर्ती वर्षों की पदोन्नति समिति के समक्ष रखी जानी वाली वरिष्ठता एवं पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

भाग 6

नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

31. **अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति**. (1) सेवा में की ऐसी रिक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे अधिकारी की, जो उस पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो. स्थानापन्न हैसियत से नियुक्ति करके या जहाँ ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबंधों के अधीन उपबंधित हो वहां किसी ऐसे व्यक्ति की, जो सेवा में सीधी भर्ती का पात्र हो, अस्थायी रूप से नियुक्ति करके, भरा जा सकेगा परन्तु ऐसी कोई नियुक्ति सरकार को उसकी सहमति के लिए निर्देशित किये बिना एक वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रखी जायेगी और सरकार द्वारा सहमति देने से इंकार करने पर तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

(2) पदोन्नति के लिए पात्रता की अपेक्षाएं पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की दशा में सरकार उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन पदोन्नति के लिए अपेक्षित पात्रता की शर्त होने पर भी, वेतन और अन्य भत्तों के बारे में ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर रिक्तियां भरने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए सामान्यअनुदेश अधिकथित कर सकेगी। तथापि, ऐसी नियुक्तियां, उक्त उप-नियम के अधीन यथा अपेक्षित, पदोन्नति समिति की सहमति के अध्ययीन होगी।

32. **वरिष्ठता**. सेवा में के संवर्ग में सम्मिति पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी।

33. **परिवीक्षा की कालावधि**. (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के विरुद्ध सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा।

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात की वह कालावधि जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी से ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

34. **कतिपय मामलों में स्थायीकरण** (1) पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सेवा में किसी पद पर अस्थायी तौर पर या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त हुए किसी व्यक्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा हुई नियमित भर्ती के पश्चात उसके सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त होने की दसा में सेवा में दो वर्ष की कालावधि पूर्ण करने पर छह मास की कालावधि के भीतर स्थायी नहीं किया गया हो तो वह अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा, यदि

(i) उसने एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन उस पद पर या उच्चतर पद पर कार्य किया हो या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता:

(ii) वह इन नियमों के अधीन विहित कोटा के अध्यधीन रहते हुए, स्थायीकरण से संबंधित नियम के अधीन विहित शर्तें पूरी करता हो; और

(iii) विभाग में स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो।

(2) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई कर्मचारी यदि उक्त उप-नियम में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित कालावधि को राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 और किन्हीं अन्य नियमों में परिवीक्षाधीन व्यक्ति के लिए यथा-विहित कालावधि तक या एक वर्ष तक जो भी अधिक हो, बढ़ाया जा सकेगा। यदि वह कर्मचारी फिर भी उपर्युक्त उप-नियम (1) में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने में असफल रहता है तो वह ऐसे पद से उसी रीति से सेवामुक्त किये या हटा दिये जाने का दायी होगा जिस रीति से किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवोन्मुक्त किया या हटाया जाता है या वह उस अधिष्ठायी या निरन्तर पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिए वह हकदार हो, पदावनत किये जाने का दायी होगा।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारी को उक्त सेवाकाल में पश्चात् स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके द्वारा समाधानप्रद रूप से कार्य करने के प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त सेवाकाल में संसूचित न किया गया हो।

(4) उपर्युक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी को स्थायी न करने के कारणोंको नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा पुस्तका और वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में अभिलिखित करेगा।

35. परिवीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति. (1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि सेवा के किसी सदस्य ने उसके अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह संतोष प्रदान करने में विफल रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे, नियुक्ति से ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा बशर्ते उस पद पर उसका धारणाधिकार हो या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा;

परन्तु-

(i) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो सेवा के किसी सदस्य के परिवीक्षाकाल को ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा जो सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में दो वर्ष तक और ऐसे पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के मामले में एक वर्ष तक हो सकेगी;

(ii) नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जाति या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में, यदि उचित समझे, परिवीक्षाकाल एक बार में एक वर्ष से अनधिक की कालावधि तक और कुल मिलाकर तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि तक बढ़ा सकेगा।

(2) उपर्युक्त उपबंध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा के दौरान निलम्बनाधीन रखा जाये या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी अनुज्ञात हो या प्रारम्भ कर दी गयी हो तो उसका परिवीक्षाकाल ऐसी कालावधि तक बढ़ाया जा सकेगा जो नियुक्ति प्राधिकारी उन परिस्थितियों में उचित समझे।

(3) परिवीक्षा के दौरान या उसकी समाप्ति पर उप-नियम (1) के अधीन प्रतिवर्तित या सेवोन्मुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होगा।

36. स्थायीकरण. (1) परिवीक्षा पर रखे गये किसी व्यक्ति को परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि

(क) उसने विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली है,
(ख) उसने हिन्दी में प्रवीणता संबंधी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और
(ग) सरकार का यह समाधान हो जाये कि सकी सत्यनिष्ठा संखास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसके परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा यदि नियमों में अधिकथित परिवीक्षाकाल के दौरान विहित विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण/हिन्दी में प्रवीणता परीक्षा, यदि कोई हो, आयोजित नहीं की जाती है, यदि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

भाग 7
वेतन

37. परिवीक्षा के दौरान वेतन. सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षमार्थी को, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर नियत किया जाये।

[1][**37-क. 5 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाले प्रबोधक के प्रारंभिक वेतन का नियतन.**-नियत पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिणार्थी के रूप में नियुक्त किसी प्रबोधक को परिवीक्षाकाल की सफलतापूर्वक समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के पूर्व किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था/शैक्षणिक परियोजना में अपेक्षित न्यूनतम 5 वर्ष के निरन्तर अध्यापन अनुभव से आगे, बिना किसी अन्तराल के, अर्जित प्रत्येक अतिरिक्त तीन वर्ष के निरन्तर अध्यापन अनुभव के लिए एक वेतनवृद्धि प्रदान की जायेगी।

38. वेतन, छुट्टी, भत्ते, अंशदायी पेंशन आदि का विनियमन. इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय, सेवा के सदस्य का वेतन, भत्ते, अंशदायी पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी.-

(1) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर संशोधितः
(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 समय-समय पर यथा संशोधित :
(ii) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर संशोधितः
(iv) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 समय-समय पर बथा संशोधित :
(v) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, समय-समय पर यथा संशोधित;
(vi) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथा-संशोधित।

39. शंकाओं का निराकरण. यदि इन नियमों को लागू करने और व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

40. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति. अपवाद सापेक्ष मामलों में जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह सरकार की सहमति से आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबंधों से ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामलो को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगा, परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा:

परन्तु इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।

क्र. सं.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	पद जिससे पदोन्नति की जानी है।	पदोनति के लिए अहंताएं और अनुभवन	सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं और अनुभव	अभ्युक्तया
1	2	3	4	5	6	7
1	वरिष्ठ प्रबोधक (5000-8000½	100% पदोन्नति द्वारा		प्रारम्भिक शिक्षा खातक (बी.ई.एल.एड.) या स्नातकफ सहित शिक्षा स्नातक (बी.एड.)		

	(1) सामान्य शिक्षा प्रबोधक (2) शारीरिक शिक्षा	100% पदोन्नति द्वारा	(सामान्य शिक्षा) प्रबोधक (सामान्य शिक्षा)	या उसके समतुल्य और स्तम्भ सं. 4 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्नातक सहित शारीरिक शिक्षा स्नातक (बी. पी. एड.) या उसके समतुल्य और स्तम्भ सं. 4 में उल्लिखित पद पर 9 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।		
2	प्रबोधक (1) सामान्य शिक्षा (क) कक्षा-1 से v के लिए स्तर-1	100% सीधी भर्ती द्वारा			(क) कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सैकेण्डरी (या उसके समतुल्य) और प्रारंभिक शिक्षा (बी.एस.टी.सी.) में 2 वर्षीय डिप्लोमा(या कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सैकेण्डरी (या उसके समतुल्य) और एनसीटीई (रेकग्शिन] नॉर्म्स और प्रोसीजर) रेग्यूलेशन्स 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा (बी. एस. टी.सी.) में डिप्लोमा(या कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सैकेण्डरी (या उसके समतुल्य) और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय	
	(ख) कक्षा VI से VIII के लिए स्तर-II				डिप्लोमा(या नातक और प्रारंभिक शिक्षा (बी.एस.टी.सी.) में 2 वर्षीय डिप्लोमा। और (ख) रा.अ.शि.प. (एनसीटीई) द्वारा तत्प्रयोजनार्थ विरचित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार समुचित सरकारी द्वारा संचालित की जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण। ¼क) स्नातक और प्रारम्भिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा; या कम से कम 50% अंकों के साथ खातक और शिक्षा में 1 वर्षीय स्नातक (बी.एड.)(**या** कम से कम 45% अंकों के साथ खातक और इस संबंध में समय-समय पर जारी एनसीटीई (रेकरिशन, नॉर्म्स और प्रोसीजर) विनियम के अनुसार शिक्षा में 1 वर्षीय जातक (बी.एड.)(**या** कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सैकण्डरी (या उसके समतुल्य) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड. या	

	(2) शारीरिक शिक्षा 100% सीधी भर्ती द्वारा			बी.ए. एड./बी.एससी. एड. **या** कम से कम 50% अंकों के साथ खातक और 1 वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)। (ख) रा.अ.शि.प. द्वाब तलप्रयोजनार्थ विरचित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण। ¼क) सीनियर सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र या इंटरमीडिएट या उसके समतुल्य और 2 वर्ष से अन्यून कालावधि का शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र (सी.पी.एड.) या उसके समतुल्य। **या** सीनियर सैकण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र या उसके समतुल्य और शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) या समय-समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त शारीरिक शिक्षा का डिप्लोमा (डी.पी.एड.)]	